

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

**विज्ञापन सं०-08/2022, प्राचार्य (पार्श्विक नियुक्ति) के काउंसलिंग में आने वाले
अभ्यर्थियों के लिए सूचना एवं दिशा निर्देश:-**

विज्ञापन संख्या-08/2022, प्राचार्य (पार्श्विक नियुक्ति) के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन पत्रों की Scrutiny के पश्चात् प्राप्त आपत्ति के निष्पादनोपरांत दिनांक-08.06.2023 से 09.06.2023 तक दो पाली में काउंसलिंग का कार्य बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना में आयोजित किया जायेगा। काउन्सलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार तिथिवार संलग्न है।

काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के Website:-www.btsc.bih.nic.in अथवा 103.112.252.139/PRINCIPAL पर जाकर अपना नाम, Registered Mobile No., जन्म तिथि डालने के पश्चात् Registered Mobile No. पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर Counselling Call Letter एवं चेक लिस्ट-सह-अंक सत्यापन प्रपत्र Download किया जा सकता है।

Counselling Call Letter के बिना काउंसलिंग हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर विज्ञापन में वर्णित एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति, आवेदन की डाउनलोडेड प्रति तथा सत्यापन हेतु सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे।

काउंसलिंग में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्देश है कि निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

1. ऑनलाईन आवेदन में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी को चेक लिस्ट-सह-अंक सत्यापन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण-पत्रों की दो(02) प्रति स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति काउंसलिंग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. सभी प्रमाण-पत्र यथा-शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, शिक्षण अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि 24.09.2022 तक का निर्गत होना अनिवार्य है।
3. बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों/संस्थानों में संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राचार्य के पद पर कार्यरत अवधि का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण-पत्र जो संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा दिनांक-24.09.2022 तक का निर्गत होना अनिवार्य है।
4. कार्यानुभव अवधि की गणना 25.08.2022 तक की जायेगी।
5. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संबंधित प्रारूप (Format) में ही कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।
6. Online आवेदन में upload किये गए Photograph की 5 (पाँच) प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उच्चतर योग्यता का प्रमाण-पत्र एम०ए०स०सी० नर्सिंग (M.Sc (Nursing) Degree/Provisional Degree) का उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र

काउंसलिंग में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उच्चतर योग्यता का अंक देय नहीं होगा।

8. निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
9. किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
10. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब काउंसलिंग के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण-पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं देय नहीं होगा।
13. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-673, दिनांक-08.03.2011 एवं पत्रांक-704, दिनांक-10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण-पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
14. काउंसलिंग के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। काउंसलिंग के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। काउंसलिंग के लिए संलग्न रजिस्ट्रेशन नम्बर वाले अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी व्यक्ति का काउंसलिंग स्थल में प्रवेश वर्जित होगा।
15. अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय-समय पर कोई सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है तो इसे वे अपने ध्यान में अनुपालन हेतु रखेंगे। इसके लिए अलग से उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना देने/नहीं देने के बिन्दु पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

30
15-2021

प्रभारी सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।